अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

रामदेव बनाम अशोक कुमार

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर 2019/00166 श्री .... श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
28.5.19	पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र पेश हुई । अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 1 उपस्थित । प्रार्थना पत्र स्थगन पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई । विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विवादित आराजी अपीलांट की खातेदारी काश्तकारी की आराजी है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद ने आदेश दिनांक 3.4.2019 द्वारा राजस्व अभिलेख एवं विधि द्वारा स्थापित प्रावधानों एवं मान0 उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत होकर रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को अवैधानिक कृत्य हेतु बढ़ावा देने वाला है । अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.4.2019 की पालना व प्रभाव की कियान्विति ताफैसला अपील स्थगित नहीं गई तो प्रार्थीगण/अपीलांटस को अपूर्णीय क्षति होगी । बहस में यह भी कथन किया कि प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है । अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर विद्वान अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के आदेश दिनांक 3.4.2019 की पालना व प्रभाव को ताफैसला अपील स्थगित किया जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने जवाब बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी रेस्पो0 की बापोती भूमि है । आराजी मुतनाजा चौसाला खसरा नंबर 43 रकबा 2–5–10 की भूमि चौसाला जमाबंदी संवत् 2018 से 2021 व 2019 से 2022 के अनुसार बृजलाल पुत्र श्योनाथ जाति गुर्जर गैर खातेदार के नाम दर्ज थी । खसरा गिरदावरी संवत् 2035 से 2038, 2039 से 2042 में बृजकिशोर के नाम काश्त दर्ज होकर कॉलम संख्या 6 में नियमन का इंद्राज दर्ज है । बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि बृजलाल के स्वर्गवास के बाद विवादित आराजी पर रेस्पो0 ही काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु बाद के राजस्व रिकार्ड में त्रुटिवश सिवायचक दर्ज कर दी गई तथा उक्त त्रुटिपूर्ण इंद्राज के आधार पर भेरूलाल व बालूराम पि0 रामचंद्र के पक्ष में दिनांक 28.5.1984 को आवंटित कर दी गई जबकि विवादित भूमि पर कब्जा काश्त निरन्तर रेस्पो0/प्रार्थीगण का ही चला आ रहा है । बहस में यह भी कथन किया कि उक्त आवंटन आदेश के विरूद्ध प्रकरण संख्या 16/2002 दर्ज किया जिसमें विद्वान अपर कलक्टर, अजमेर ने दिनांक 13.5.213 को आदेश पारित कर निर्देश दिये कि खातेदारी भूमि के संदर्भ में नियमन 14 (4) के अंतर्गत खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते है । खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये । उक्त आदेश की अपील हाजा न्यायालय के समक्ष पेश की गई जो आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित किया गया । हाजा न्यायालय के आदेश के विरूद्ध मान0 राजस्व मण्डल में अपील संख्या 42/2003 पेश की गई जिसमें निर्णय दिनांक 14.10.2005 के अनुसार प्रकरण पुनः राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष सुनवाई हेतु	लगातार

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अज-अदालत राजस्व[2] अपील प्राधिकारी अजमेर

166/17/223   97/4389 विजय अशोक कुमार

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री मोतीलाल गुर्जर श्री एम. के. जैन।	

लगातार

प्रतिप्रेषित किया गया । प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने पर अधी0न्याया0 ने प्रकरण निरस्त कर दिया जिसके विरूद्ध मान0 मण्डल में अपील की गई जो भी निरस्त की गई तथा विद्वान अपर कलक्टर, अजमेर के आदेश को यथावत् रखा गया । उक्त आदेश के विरूद्ध वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में याचिका पेश की गई जो विचाराधीन है तथा उक्त याचिका में मान0 उच्च न्यायालय ने आराजी मुतनाजा को अन्यंत्र हस्तातंरित नहीं करने व प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी नहीं करने हेतु पाबंद किया है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । उभयपक्ष के मध्य अपीलाधीन भूमि को लेकर पूर्व में किये गये आवंटन को लेकर न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर के समक्ष प्रकरण संख्या 16/02 आवंटन नियमन नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत कार्यवाही की गई थी जिसमें न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर द्वारा दिनांक 13.5.2013 को निर्देशित किया कि नियम 14 (4) की कार्यवाही के तहत खातेदारी अधिकारी समाप्त नही किये जा सकते है । खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये । रेस्पो0/वादी द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद व प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 का प्रस्तुत किया गया परन्तु आवंटन के विरूद्ध वर्तमान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका विचाराधीन है जिसमें मान0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के संदर्भ में दोनों पक्षों को इस स्थगन आदेश पाबंद किया है कि विवादित भूमि के मौके व रिकार्ड की उभयपक्ष यथास्थिति बनाये रखे । अपीलांट के कथनानुसार उक्त आदेश आज भी प्रभाव में है । जब विवादित भूमि के संदर्भ में मान0राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को पाबंद कर रखा है तो अधी0न्याया0 को मान0 राज0उच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत अन्य कोई आदेश पारित नहीं करना चाहिये । इस प्रकार उपरोक्त अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा याचिका में दिये गये स्थगन आदेश के परिप्रेक्ष्य में अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 3.4.2019 में उपरोक्त विवेचन के अनुसार संशोधन किया जाकर आदेशित किया जाता है कि उभयपक्ष मान0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश के अनुसार पाबंद रहेगें । पत्रावली उक्तानुसार फैसल की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

आदेश आज दिनांक 28/5/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/5/19

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर